न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 121/2020

गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल जाति माली निवासी मऊ तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एवं धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांकः 03.11.2020 निर्णय दिनांक : 14.03.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 383 खसरा नं0 395 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 821 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 942 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर रामगोपाल पुत्र भैरूलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल है। जिसको वादी रामगोपाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड आदी में गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में रामगोपाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र भैरूलाल के स्थान गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 03.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/47 दिनांक 27.01.2021 के अनुसार रामगोपाल पुत्र भैरूलाल जाति माली को गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल जाति माली के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल जाति माली एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम रामगोपाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं के आधार पर आराजी खाता

Scanned by CamScanner

संख्या 383 खसरा नं0 395 रकबा 0.78 है0, खसरा नं0 821 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 942 रकबा 0.30 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम मऊ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम रामगोपाल पुत्र भैरूलाल के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपाल लाल पुत्र भैरूलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ-साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner